



## कारपोरेट अभिशासन

### अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन का महत्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है। इसके अनुपालन से बैंक कारोबारी सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने सभी हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं;

- शेयरधारकों की पूंजी में वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज के साथ-साथ शेयरधारकों तथा अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करना।
- निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

### बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करें, प्रभावी नेतृत्व प्रदान करें, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे तथा कार्यपालकों के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित एवं पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदार हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी दिशानिर्देशित होती है।

- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य विनियामकों एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

### बोर्ड की संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष करते हैं; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत नियुक्त दो प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2009 को बोर्ड में शिक्षा जगत के विशिष्ट व्यक्तियों सहित कुल 10 अन्य निदेशक थे। इनमें शेयरधारकों के प्रतिनिधि, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती अधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। पूर्णकालिक निदेशकों जिनमें अध्यक्ष और दो प्रबंध निदेशक शामिल हैं, के अलावा 31 मार्च 2009 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार था :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित चार निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (ड) के अंतर्गत नामित एक निदेशक जिन्होंने 30 अप्रैल 2009 को अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त कर लिया तथा
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित एक निदेशक।

निदेशक मंडल का गठन खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया है।



## CORPORATE GOVERNANCE

### The Bank's Philosophy on Code of Governance

State Bank of India is committed to the best practices in the area of corporate governance, in letter and in spirit. The Bank believes that good corporate governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective management and control of business, enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The objectives can be summarized as:

- To enhance shareholder value.
- To protect the interests of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and to achieve excellence at all levels.
- To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

### The Bank is committed to:

- Ensuring that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership, exercises control over management and monitors executive performance.
- Establishing a framework of strategic control and continuously reviewing its efficacy.
- Establishing clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Providing free access to the Board to all relevant information, advices and resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensuring that the Chairman has responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Chairman and the Board of Directors are also guided by the SBI Act, 1955, with all relevant amendments.

- Ensuring that a senior executive is made responsible in respect of compliance issues with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the GOI/RBI and other regulators and the Board, and report deviation, if any.

The Bank has complied with the provisions of Corporate Governance as per Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchange except where the provisions of Clause 49 are not in conformity with SBI Act, 1955 and the directives issued by RBI/GOI. A report on the implementation of these provisions of Corporate Governance in the Bank is furnished below.

### Composition of the Board

State Bank of India was formed in 1955 by an Act of the Parliament, i.e., The State Bank of India Act, 1955 (Act). A Central Board of Directors was constituted according to the Act. The Board is headed by the Chairman, appointed under section 19(a) of SBI Act; two Managing Directors are also appointed members of the Board under section 19(b) of SBI Act. The Chairman and Managing Directors are whole time Directors. As on 31<sup>st</sup> March 2009, there were 10 other directors on the Board including eminent personalities from academics. These included representatives of shareholders, nominee officials of Government of India and Reserve Bank of India and directors nominated by the Government of India under Section 19(d) of the State Bank of India Act, 1955. Apart from the whole time Directors comprising Chairman and two Managing Directors, the composition of the Board as on the 31<sup>st</sup> March 2009, was as under :

- four directors, elected by the shareholders under Section 19(c),
- four directors, nominated by the Central Government under Section 19(d),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(e), who attained superannuation as at the close of business on 30th April 2009 and
- one director, nominated by the Reserve Bank of India under Section 19(f).

The composition of the board complies with provisions laid down in Clause 49.



गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है। अन्य बोर्डों/समितियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है तथा बैंक में उनकी शेरधारिता का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

#### समितियाँ

केंद्रीय बोर्ड ने निदेशकों की नौ समितियाँ गठित की हैं। ये हैं- (1) कार्यकारिणी समिति, (2) लेखा-परीक्षा समिति, (3) शेरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, (4) जोखिम प्रबंधन समिति,

(5) बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक) की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशकों की विशेष समिति, (6) ग्राहक सेवा समिति, (7) प्रौद्योगिकी समिति, (8) ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय समिति तथा (9) बोर्ड की पारिश्रमिक समिति।

#### केंद्रीय बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 9 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

तालिका : 13 वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 9			
बैठकों की तिथियाँ : 02.05.2008, 11.06.2008, 25.06.2008, 26.07.2008, 19.09.2008, 27.10.2008, 26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009			
श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष, श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, डॉ.अशोक झुनझुनवाला, डॉ. देवानंद बलोधी तथा डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा, निदेशक सभी नौ बैठकों में उपस्थित रहे। अन्य निदेशकों की उपस्थिति की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री आर. श्रीधरन (5.12.2008 से)	3	3	26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009
श्री सुमन कुमार बेरी (18.6.2008 को त्यागपत्र दिया; 24.06.2008 से पुनः चयनित; 18.09.2008 को त्यागपत्र दिया)	4	2	02.05.2008, 11.06.2008
श्री दिलीप सी. चौकसी (24.06.2008 से)	7	5	25.06.2008, 27.10.2008, 26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009
श्री एस. वैकटाचलम (24.06.2008 से)	7	7	25.06.2008, 26.07.2008, 19.09.2008, 27.10.2008, 26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009
श्री डी. सुंदरम (13.01.2009 से)	2	2	24.01.2009, 30.03.2009
श्री ए. सी. कलिता (31.05.2008 तक)	1	1	02.05.2008
प्रो.मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी	9	6	02.05.2008, 11.06.2008, 25.06.2008, 26.07.2008, 27.10.2008, 24.01.2009
डॉ. राजीव कुमार (08.09.2008 से)	5	2	27.10.2008, 30.03.2009
श्री अरुण रामनाथन	9	3	25.06.2008, 19.09.2008, 27.10.2008
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	9	6	02.05.2008, 11.06.2008, 25.06.2008, 26.07.2008, 26.12.2008, 24.01.2009



A brief resume of each of the non-executive Directors is presented in Annexure I. Particulars of the directorships/memberships held by all the Directors in various Boards/Committees are presented in Annexure II and the details of their shareholding in the Bank are mentioned in Annexure III.

#### Committees

The Central Board had constituted nine Committees of Directors, namely, (1) Executive Committee, (2) Audit Committee, (3) Shareholders'/Investors' Grievance Committee, (4) Risk Management

Committee, (5) Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (Rs.1crore and above), (6) Customer Service Committee, (7) Technology Committee, (8) Committee on Rural Sector Business and (9) Remuneration Committee of the Board.

#### Meetings of the Central Board and its Committees

The Bank's Central Board meets a minimum of six times a year. During the year 2008-09, nine Central Board Meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the directors are as under :

**Table : 13 Dates & Attendance of Directors at Board Meetings during 2008-09**

No. of Meetings held : 9			
Dates of the Meetings : 02.05.2008, 11.06.2008, 25.06.2008, 26.07.2008, 19.09.2008, 27.10.2008, 26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009			
Shri O.P. Bhatt, Chairman, Shri S.K. Bhattacharyya, Managing Director, Dr. Ashok Jhunjunwala, Dr. Deva Nand Balodhi and Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha, Directors attended all the nine Meetings. Dates of attendance of other Directors are as given below :			
Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election	No. of Meetings attended	Dates
Shri R. Sridharan (w.e.f. 05.12.2008)	3	3	26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009
Shri Suman Kumar Bery (resigned on 18.06.2008; re-elected w.e.f. 24.06.2008; resigned on 18.09.2008)	4	2	02.05.2008, 11.06.2008
Shri Dileep C. Choksi (w.e.f.24.06.2008)	7	5	25.06.2008, 27.10.2008, 26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009
Shri S. Venkatachalam (w.e.f.24.06.2008)	7	7	25.06.2008, 26.07.2008, 19.09.2008, 27.10.2008, 26.12.2008, 24.01.2009, 30.03.2009
Shri D. Sundaram (w.e.f. 13.01.2009)	2	2	24.01.2009, 30.03.2009
Shri A.C. Kalita (upto 31.05.2008)	1	1	02.05.2008
Prof. Md. Salahuddin Ansari	9	6	02.05.2008, 11.06.2008, 25.06.2008, 26.07.2008, 27.10.2008, 24.01.2009
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 08.09.2008)	5	2	27.10.2008, 30.03.2009
Shri Arun Ramanathan	9	3	25.06.2008, 19.09.2008, 27.10.2008
Smt. Shyamala Gopinath	9	6	02.05.2008, 11.06.2008, 25.06.2008, 26.07.2008, 26.12.2008, 24.01.2009



### केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति, बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करती है और बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य करती है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की क्षमता में आने वाले किसी भी मामले का निपटान कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

**तालिका: 14 वर्ष 2008-09 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति**

आयोजित बैठकों की कुल संख्या 53	
निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों की संख्या
1. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष	51
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी	46
3. श्री आर श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगीय) (05.12.2008 से)	15
4. श्री दिलीप सी. चौकसी (24.06.2008 से)	28
5. श्री एस. वैकटाचलम (24.06.2008 से)	38
6. श्री डी. सुंदरम (13.01.2009 से)	09
7. डॉ. अशोक झुनझुनवाला	16
8. श्री सुमन कुमार बेरी (18.09.2008 तक)	04
9. श्री ए. सी. कलिता (31.05.2008 तक)	06
10. डॉ. देवानंद बलोधी	38
11. प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी	19
12. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा	31
13. डॉ. राजीव कुमार (08.09.2008 से)	04
14. श्री अरुण रामनाथन	02
15. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	09

### बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को एवं पिछली बार इसका पुनर्गठन 9 मई 2009 को किया गया था। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है एवं सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होने पाए।

### बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के कार्य

- (क) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उनका पर्यवेक्षण भी करती है। समस्त लेखा परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है।
- (ख) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति विशेषीकृत एवं अत्यधिक बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक श्रेणी प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अंतर-शाखा समायोजन खाते
- अंतर-बैंक खातों तथा नॉस्ट्रो/वॉस्ट्रो खातों की लंबे समय से समाधान न हुई प्रविष्टियां
- विभिन्न शाखाओं की बहियों के समतुलन का बकाया कार्य
- धोखाधड़ियाँ
- आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र

(ग) यह बैंक के अनुपालन विभाग से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(घ) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक लेखा परीक्षकों की विस्तृत (लांग फार्म) लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है।

केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टम्स ऑफ रेफरेंस' निर्दिष्ट किए गए, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आनेवाली अपेक्षाओं के अतिरिक्त खंड 49 के अंतर्गत आनेवाली अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया है।

### गठन एवं वर्ष 2008-09 के दौरान उपस्थिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में सात सदस्य होते हैं। इनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती)



### Executive Committee of the Central Board

The Executive Committee of the Central Board (ECCB) is constituted in terms of Section 30 of the SBI Act, 1955. According to the Act, ECCB exercises powers delegated by the Board and functions subject to the conditions imposed by the Board. The State Bank of India General Regulations (46 & 47) provide that, subject to the general or special directions of the Central Board, ECCB may deal with any matter within the competence of the Central Board. ECCB consists of the Chairman, the Managing Directors, the Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), and all or any of the other Directors who are normally residents or may for the time being be present at any place within India where the meeting is held. The ECCB meetings are held once every week. The details of attendance of ECCB Meetings during the year 2008-09 are as under :

**Table : 14 Attendance of ECCB Meetings during 2008-09.**

Total No. of Meetings : 53	
Directors	No. of ECCB meetings
1. Shri O.P. Bhatt, Chairman	51
2. Shri S.K. Bhattacharyya, M.D. & CCRO	46
3. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) (w.e.f. 05.12.2008)	15
4. Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 24.06.2008)	28
5. Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 24.06.2008)	38
6. Shri D. Sundaram (w.e.f. 13.01.2009)	09
7. Dr. Ashok Jhunjunwala	16
8. Shri Suman Kumar Bery (upto 18.09.2008)	04
9. Shri A.C. Kalita (upto 31.05.2008)	06
10. Dr. Deva Nand Balodhi	38
11. Prof. Md. Salahuddin Ansari	19
12. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha	31
13. Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 08.09.2008)	04
14. Shri Arun Ramanathan	02
15. Smt. Shyamala Gopinath	09

### Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted on the 27<sup>th</sup> July 1994 and last re-constituted on the 9<sup>th</sup> May 2009. The ACB functions as per RBI guidelines and complies with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement to the extent that they do not violate the directives/guidelines issued by RBI.

#### Functions of ACB

- (a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank, and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspection by RBI.
- (b) ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also, especially, focuses on the follow-up of:
  - Inter-branch adjustment accounts
  - Unreconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro/vostro accounts
  - Arrears in balancing of books at various branches
  - Frauds
  - All other major areas of housekeeping
- (c) It obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Department in the Bank.
- (d) ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports of the Statutory Auditors. It interacts with the external auditors before the finalisation of the annual/half-yearly/quarterly financial accounts and reports.

A formal 'Audit Charter' or 'Terms of Reference' laid down by the Central Board, incorporating the requirements under Clause-49 in addition to those under RBI guidelines, is in place.

#### Composition & Attendance during 2008-09

The ACB has seven members of the Board of Directors, including two whole time Directors, two official Directors (nominees of GOI and RBI), and three non-official, non-executive Directors. Meetings of the ACB are chaired by a non-executive Director.



तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोरम संबंधी अपेक्षाओं

का सखी से अनुपालन किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के

तालिका : 15 वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 9			
बैठकों की तिथियाँ : 01.05.2008, 25.07.2008, 18.09.2008, 15.10.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009			
श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी सभी नौ बैठकों में उपस्थित रहे। अन्य निदेशकों की उपस्थिति की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :			
निदेशक का नाम	अवधि के दौरान नामांकन/चयन के बाद आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री सुमन कुमार बेरी (18.06.2008 तक; 24.06.2008 से पुनःनिर्वाचित; 18.09.2008 को त्यागपत्र दिया)	3	1	01.05.2008
श्री दिलीप सी. चौकसी (25.06.2008 से)	8	7	18.09.2008, 15.10.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009
श्री एस. वैकटाचलम (25.06.2008 से)	8	8	25.07.2008, 18.09.2008, 15.10.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009
श्री अरुण रामनाथन	9	—	निरंक
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	9	2	01.05.2008, 23.01.2009
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	9	6	01.05.2008, 25.07.2008, 18.09.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 16.03.2009
श्री आर. श्रीधरन (05.12.2008 से)	4	3	23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009

लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की नौ बैठकें आयोजित की गईं।

#### बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन संबंधी नीति और कार्यनीति की निगरानी करती है। समिति 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई थी जिसमें 6 सदस्य हैं।

प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2008-09 में बोर्ड की जोखिम

प्रबंधन समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

निदेशक	उपस्थिति
1. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी	6
2. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियों) (05.12.2008 से)	2
3. डॉ. अशोक झुनझुनवाला	5
4. श्री दिलीप सी. चौकसी (25.06.2008 से)	3
5. श्री सुमन कुमार बेरी (18.09.2008 तक)	1



The constitution and quorum requirements as per RBI guidelines are complied with meticulously. During the year, nine meetings of ACB were held

to review the various matters connected with the internal control, systems and procedures and other aspects as required in terms of RBI guidelines.

**Table : 15 Dates & Attendance of Directors at Meetings of ACB held during 2008-09**

<b>Meetings held : 9</b>			
<b>Dates of the Meetings : 01.05.2008, 25.07.2008, 18.09.2008, 15.10.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009</b>			
<b>Shri S.K. Bhattacharyya, Managing Director &amp; CCRO, attended all the nine Meetings. Dates of attendance of other Directors are as below :</b>			
<b>Name of the Director</b>	<b>No. of Meetings held after nomination/ election during tenure</b>	<b>No. of Meetings attended</b>	<b>Dates</b>
<b>Shri Suman Kumar Bery (upto 18.06.2008, re-elected w.e.f. 24.06.2008, resigned on 18.09.2008)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>01.05.2008</b>
<b>Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 25.06.2008)</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>18.09.2008, 15.10.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009</b>
<b>Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 25.06.2008)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>25.07.2008, 18.09.2008, 15.10.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009</b>
<b>Shri Arun Ramanathan</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>Nil</b>
<b>Smt. Shyamala Gopinath</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>01.05.2008, 23.01.2009</b>
<b>Dr. Ashok Jhunjunwala</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>01.05.2008, 25.07.2008, 18.09.2008, 25.10.2008, 27.12.2008, 16.03.2009</b>
<b>Shri R. Sridharan (w.e.f. 05.12.2008)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23.01.2009, 16.03.2009, 21.03.2009</b>

#### **Risk Management Committee of the Board**

The Risk Management Committee of the Board (RMCB) was constituted on the 23<sup>rd</sup> March 2004, to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee has been reconstituted on the 9<sup>th</sup> May 2009 with six members.

The Managing Director and Chief Credit & Risk Officer is the Chairman of the Committee. RMCB meets a minimum of four times a year, once in each quarter. During 2008-09, six meetings of the RMCB were held.

<b>Director</b>	<b>Attendance</b>
1. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO, Chairman	6
2. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S)(w.e.f. 05.12.2008)	2
3. Dr. Ashok Jhunjunwala	5
4. Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 25.06.2008)	3
5. Shri Suman Kumar Bery (upto 18.09.2008)	1





### बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआइजीसीबी) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था। यह समिति 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई थी जिसमें पांच सदस्य उपस्थित हुए और बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई। समिति की वर्ष 2008-09 के दौरान चार बैठकें हुईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

निदेशक	उपस्थिति
1. डॉ. देवानंद बलोधी, अध्यक्ष	4
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी	4
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (05.12.2008 से)	2

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान): **309**

जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया: **निरंक**

लंबित शिकायतों की संख्या: **निरंक**

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

श्री मृणाल शंकर, महाप्रबंधक (अनुपालन)

बड़ी राशि (एक करोड़ रुपए और अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशियों वाली धोखाधड़ियों (1 करोड़ रुपए और अधिक) की निगरानी के लिए विशेष समिति का 29 मार्च 2004 को गठन किया गया था। इस समिति के प्रमुख कार्य 1 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे कि प्रणालीगत खामियों, यदि हों, तो धोखाधड़ी उजागर होने और रिपोर्टिंग में विलंब होने के कारणों का पता लगाया जा सके तथा सीबीआई/पुलिस जांच में प्रगति, वसूली-स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय होती है, धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति

रोकने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा तथा उपयुक्त निरोधात्मक उपाय किए जाते हैं। इस समिति को 9 मई 2009 को पुनर्गठित किया गया जिसमें सात सदस्य हैं।

प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं।

निदेशक	उपस्थिति
1. श्री एस.के.भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी, अध्यक्ष	3
2. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) (5.12.2008 से)	1
3. डॉ. अशोक झुनझुनवाला (24.06.2008 तक)	1
4. डॉ. देवानन्द बलोधी	3
5. प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी	2
6. श्री दिलीप सी.चौकसी (25.06.2008 से)	2
7. श्री एस. वेंकटाचलम (25.06.2008 से)	2

### बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था। यह समिति 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई। समिति में छह सदस्य हैं। प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं।

निदेशक	उपस्थिति
1. श्री एस.के. भट्टाचार्य प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी, अध्यक्ष	3
2. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) (5.12.2008 से)	1
3. प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी	2
4. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा	3



### Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board

In pursuance of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (SIGCB) was formed on the 30<sup>th</sup> January 2001, to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of interest on bonds/declared dividends, etc. The Committee has been reconstituted on the 9<sup>th</sup> May 2009 with five members and is chaired by a non-executive Director. The Committee met four times during 2008-09 and reviewed the position of complaints.

Director	Attendance
1. Dr. Deva Nand Balodhi – Chairman	4
2. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO	4
3. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) (w.e.f. 05.12.2008)	2

**Number of shareholders' complaints received so far (during the year):** 309

**Number not solved to the satisfaction of shareholders:** NIL

**Number of Pending Complaints:** NIL

**Name and designation of Compliance officer :**  
Shri Mrinal Shankar, General Manager (Compliance)

### Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (Rs.1 crore and above)

The Special Committee for monitoring of Large Value Frauds (Rs.1 crore and above) was constituted on the 29<sup>th</sup> March 2004. The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action

taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Committee has been reconstituted on the 9<sup>th</sup> May 2009 with seven members.

The Managing Director and Chief Credit & Risk Officer is the Chairman of the Committee. The committee met three times during 2008-09.

Director	Attendance
1. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO, Chairman	3
2. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) (w.e.f. 05.12.2008)	1
3. Dr. Ashok Jhunjunwala (upto 24.06.2008)	1
4. Dr. Deva Nand Balodhi	3
5. Prof. Md. Salahuddin Ansari	2
6. Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 25.06.2008)	2
7. Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 25.06.2008)	2

### Customer Service Committee of the Board

The Customer Service Committee of the Board was constituted on the 26<sup>th</sup> August 2004, to bring about ongoing improvements on a continuous basis in the quality of customer service provided by the Bank. The Committee has been reconstituted on the 9<sup>th</sup> May 2009 with six members. The Managing Director and Chief Credit & Risk Officer is the Chairman of the Committee.

During the year 2008-09, three meetings of the Committee were held.

Director	Attendance
1. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO, Chairman	3
2. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) (w.e.f. 05.12.2008)	1
3. Prof. Md. Salahuddin Ansari	2
4. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha	3



### बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति गठित की गई और पिछली बार यह समिति 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई। समिति के छह सदस्य हैं जिसमें दो प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं और एक गैर कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

निदेशक	उपस्थिति
1. डॉ. अशोक झुनझुनवाला, अध्यक्ष	4
2. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा	3
3. श्री एस.के.भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी	4
4. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (5.12.2008 से)	1
5. श्री एस. वैकटाचलम (25.06.2008 से)	2

### ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय पर बोर्ड की समिति

ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय पर बोर्ड की समिति का गठन 27 अक्टूबर 2005 को किया गया था जिससे बैंक के कृषि व्यवसाय प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान दिया जा सके। बाद में, इस खंड में विद्यमान अवसरों का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए बैंक ने वर्ष 2006 में ग्रामीण व्यवसाय समूह की स्थापना की जो पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। इससे ग्रामीण खंड में बाजार अंश बढ़ रहा है। यह समिति 9 मई 2009 को आयोजित केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में किए गए अनुमोदन के अनुसार अब समाप्त कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं।

निदेशक	उपस्थिति
1. डॉ. देवानन्द बलोधी, अध्यक्ष	3
2. प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी	-
3. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा	3
4. डॉ. अशोक झुनझुनवाला (दि.25.06.2008 से)	2
5. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी	3
6. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (5.12.2008 से)	1

### बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशियों के भुगतान के संबंध में बैंक

के पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 9 मई 2009 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक - डॉ. अशोक झुनझुनवाला एवं श्री एस. वैकटाचलम (02.07.2008 से) सम्मिलित हैं। इस समिति द्वारा संवीक्षा की गई एवं 31.03.2008 को समाप्त वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशकों को प्रोत्साहन राशियों का भुगतान करने की संस्तुति की गई।

### स्थानीय बोर्ड

प्रत्येक केन्द्र में जहाँ पर बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड के सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों का गठन किया जाता है। वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 21 (1) (ग) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दस स्थानीय प्रधान कार्यालयों के स्थानीय बोर्डों में कुछ नए सदस्य नामित किए गए।

### वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2007-08 की वार्षिक महासभा 11 जून 2008 को आयोजित की गई जिसमें 8 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं - श्री ओ.पी.भट्ट, श्री एस. के. भट्टाचार्य, श्री सुमन के. बेरी, डॉ. अशोक झुनझुनवाला, डॉ. देवानन्द बलोधी, प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी, डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा एवं श्रीमती श्यामला गोपीनाथ।

### वार्षिक महासभाएँ

बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2007-08 की वार्षिक महासभा 11 जून 2008 को, वर्ष 2006-07 की 25 जून 2007 को, वर्ष 2005-06 की 30 जून 2006 को, वर्ष 2004-05 की 30 जून 2005 को और वर्ष 2003-04 की 9 जुलाई 2004 को आयोजित की गई। ये सभी सभाएँ, मुंबई में आयोजित की गईं।

### बोर्ड के नए पूर्णकालिक निदेशक का पूर्ववृत्त

श्री आर. श्रीधरन ने बैंक के प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) के रूप में 5 दिसंबर 2008 को कार्यभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति के पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) थे। वे इससे पहले एसबीआई कैपिटल मार्केट के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बंगलूर मंडल के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक (ट्रेजरी), एसबीआई



### Technology Committee of the Board

The Technology Committee of the Board was constituted on the 26<sup>th</sup> August 2004, for tracking the progress of the Bank's IT initiatives. The Committee has been reconstituted on the 9<sup>th</sup> May 2009 with six members and is chaired by a non-executive Director.

The Committee met four times during 2008-09.

Director	Attendance
1. Dr. Ashok Jhunjhunwala, Chairman	4
2. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha	3
3. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO	4
4. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) (w.e.f. 05.12.2008)	1
5. Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 25.06.2008)	2

### Committee of the Board on Rural Sector Business

The Committee of the Board on Rural Sector Business was constituted on the 27<sup>th</sup> October 2005, for renewed focus on the Bank's Agri-business initiatives. Subsequently, in order to fully address the emerging opportunities in the segment, the Bank set up in 2006, the Rural Business Group, which is fully established, leading to an increased market share in the rural segment. The Committee has since been wound up as approved at the meeting of the Central Board held on the 9<sup>th</sup> May 2009.

The Committee met three times during 2008-09.

Director	Attendance
1. Dr. Deva Nand Balodhi, Chairman	3
2. Prof. Md. Salahuddin Ansari	—
3. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha	3
4. Dr. Ashok Jhunjhunwala (w.e.f. 25.06.2008)	2
5. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO	3
6. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) (w.e.f. 05.12.2008)	1

### Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee was constituted on the 22<sup>nd</sup> March 2007, for evaluating the performance

of Whole Time Directors of the Bank in connection with the payment of incentives, as per the scheme advised by Government of India in March 2007. The Committee was last reconstituted on the 9<sup>th</sup> May 2009. The Committee has four members consisting of (i) the Government Nominee Director, (ii) the RBI Nominee Director and (iii) two other Directors - Dr Ashok Jhunjhunwala and Shri S. Venkatachalam (w.e.f 02.07.2008). The Committee scrutinized and recommended payment of incentives to whole time Directors for the year ended 31.03.2008

### Local Boards

At every center where the Bank has a Local Head Office (LHO), Local Boards / Committees of Local Boards are constituted in terms of the provisions of SBI Act and Regulations. The Local Boards exercise such powers and perform such other functions and duties delegated to them by the Central Board. Some members have since been nominated to Local Boards at ten LHOs by the Central Government under Section 21(1)(c) of the Act.

### Attendance of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting for the year 2007-08, which was held on the 11<sup>th</sup> June 2008, was attended by 8 directors, viz., Shri O.P. Bhatt, Shri S.K. Bhattacharyya, Shri Suman K. Bery, Dr. Ashok Jhunjhunwala, Dr. Deva Nand Balodhi, Prof. Md. Salahuddin Ansari, Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha and Smt. Shyamala Gopinath.

### Annual General Meetings

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for 2007-08 was held on the 11<sup>th</sup> June 2008, for 2006-07 on the 25<sup>th</sup> June 2007, for 2005-06 on the 30<sup>th</sup> June 2006, for 2004-05 on the 30<sup>th</sup> June 2005 and for 2003-04 on the 9<sup>th</sup> July 2004. All these meetings were held at Mumbai.

### Bio-data of the New Whole-time Director on the Board

Shri R. Sridharan joined the Board as Managing Director & Group Executive (Associates & Subsidiaries) of the Bank on the 5<sup>th</sup> December 2008. Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director & Group Executive (Associates & Subsidiaries). He was also earlier posted as Managing Director & CEO of SBI Capital Market, Chief General Manager of the Bangalore Circle, General Manager



कारपोरेट बैंकिंग समूह के क्षेत्रीय प्रमुख भी रह चुके हैं। श्री श्रीधरन पूर्व में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सलाहकार भी रह चुके हैं।

### बैठक शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार बैठक शुल्क अदा किया जाता है। निदेशकों को केंद्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए रु. 5,000/- तथा बोर्ड स्तरीय समिति की एक बैठक के लिए रु. 2500/- बैठक शुल्क प्रदान किया जाता है।

तथापि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों को बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

### प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रमोटर्स; निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है जो बृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो।

### अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2008-09 में संदत्त वेतन व भत्ते

	मूल वेतन रु.	महंगाई भत्ता रु.	अन्य रु.	प्रोत्साहन रु.	कुल पारिश्रमिक रु.
<b>अध्यक्ष</b>					
श्री ओ. पी. भट्ट (1.04.2008-31.3.2009)	4,20,000.00	3,45,920.00	4,32,008.73	8,00,000.00	19,97,928.73
<b>प्रबंध निदेशक</b>					
श्री एस. के. भट्टाचार्य (1.4.2008-31.3.2009)	4,08,883.23	3,36,506.65	2,08,871.25	3,37,000.00	12,91,261.13
श्री आर. श्रीधरन (5.12.2008-31.3.2009)	1,95,996.77	78,381.12	31,020.17	2,01,380.00	5,06,778.06

बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का विगत तीन वर्षों के दौरान पालन किया गया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक के सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। इसके तहत व्यवस्था है कि बैंक स्टाफ, बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकता है। दिशानिर्देशों के अंतर्गत सचेतकर्ता की भूमिका के लिए "मुखबिर" कर्मचारी को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है - बशर्ते की खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निदेशों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

निदेशक मंडल का गठन, लेखा परीक्षा समिति का गठन और उसका

कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएँ बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय निष्पादन तथा महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खण्ड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

### बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने, वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



(Treasury), Regional Head of SBI Corporate Banking Group. Shri Sridharan had served earlier as Advisor to Ministry of Finance, Government of India.

#### Sitting Fees

The remuneration of the whole-time Directors and the sitting fees paid to the non-executive Directors for attending the meetings of the Board / Committees of the Board are as prescribed by GOI from time to time. The Directors are given a sitting fee of Rs.5,000/- for attending every Central Board meeting and Rs.2,500/- for attending a meeting of a Board-

level committee. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Directors of the Bank and GOI Nominee / RBI Nominee Directors. Details of sitting fees paid during the year 2008-09 are placed in Annexure-IV.

#### Disclosure:

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

#### Salary and Allowances paid to the Chairman and Managing Directors in 2008-2009

	Basic Rs.	DA Rs.	Others Rs.	Incentive Rs.	Total Remuneration Rs.
<b>Chairman</b> Shri. O. P. Bhatt (1.4.2008-31.3.2009)	4,20,000.00	3,45,920.00	4,32,008.73	8,00,000.00	19,97,928.73
<b>Managing Directors</b> Shri. S. K. Bhattacharyya (1.4.2008-31.3.2009)	4,08,883.23	3,36,506.65	2,08,871.25	3,37,000.00	12,91,261.13
Shri R. Sridharan (5.12.2008-31.3.2009)	1,95,996.77	78,381.12	31,020.17	2,01,380.00	5,06,778.06

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

Vigilance guidelines of the Bank are in place, which provide that the Bank's staff may have direct access to the Bank's Chief Vigilance Officer. The guidelines also protect any staff acting as the 'informer' from any punitive action for being a whistleblower.

The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India Act 1955, the Rules and Regulations made there under, and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition

and quorum of the Audit Committee, Non-executive directors' compensation, the appointment, re-appointment of the Statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as separate provisions in the State Bank of India Act, SBI General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

The Bank has complied with all applicable non-mandatory requirements of Clause 49, except for sending half-yearly declaration of financial performance and summary of significant events to the households of shareholders, since detailed information on the same is posted on the website of the Bank.

#### Compliance with Bank's Code of Conduct

The Directors on the Bank's Central Board and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2008-09. Declaration to this effect signed by the Chairman is placed in Annexure-V. The Code is posted on the Bank's website.



### संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2008-09 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट ([www.sbi.co.in](http://www.sbi.co.in) और [www.statebankofindia.com](http://www.statebankofindia.com)) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बैंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं।

### शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना :

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा दिनांक 19.06.2009, समय अपराह्न 3.30 बजे, स्थान : "वाई.बी.चहवान सेंटर", जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग; नरीमन पॉइंट मुंबई-400 021.

वित्तीय कैलेंडर	: 1.4.2008 से 31.3.2009
बहीबंदी की तिथि	: 12.6.2009 से 19.6.2009
लाभांश भुगतान तिथि	: 17.07.2009
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	: मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई (विश्व जमा रसीदें लंदन शेयर बाजार (एलएसई) में सूचीकृत हैं) लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टाक कोड	: 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई)

निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सहभागिता	: नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) डीमैट रूप में बैंक के शेयरों के निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) धारक हैं।
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	: भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों के लाभांशों का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक 15 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन केन्द्रों के माध्यम से भी किया जा रहा है।
पंजीयक और अंतरण एजेंट तथा उनका पता	: मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड, यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट ए-16 और 17, एमआइडीसी ; पार्ट बी, क्रॉस लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093
बोर्ड फोन नं.	: 022-6671 2151 से 2156 तक
डायरेक्ट नं.	: 022-6671 2198 / 6671 2199 022-6671 2201 से 2203 तक
ई-मेल पता	: <a href="mailto:sbi_eq@dfssl.com">sbi_eq@dfssl.com</a>
फैक्स	: (022) 6671 2204
शेयर-अंतरण प्रणाली	: रजिस्ट्रीकरण और अंतरण (आर एण्ड टी) एजेंट के माध्यम से
बकाया जीडीआर	: 31.03.2009 को 1,35,64,361 (जीडीआर) 2,71,28,722 शेयर
पत्र व्यवहार के लिए पता	: भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, केंद्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, 8वीं मंजिल एम.सी. रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021



### Means of Communication

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2008-09 were published in all leading newspapers of the country. The results were also displayed on the Bank's website (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com). The Annual Report is sent to all shareholders of the Bank. The Bank's website displays, inter alia, official news releases of the Bank, the Bank's Annual Report and Half-yearly report, and details of various product offerings. Every year, after the annual and half-yearly results are declared, a Press-meet is held on the same day, in which the Chairman makes a presentation and answers the queries of the media. This is followed by another meeting to which a number of investment analysts are invited. Details of the Bank's performance are discussed with the analysts in the meeting. After declaring quarterly results, press notifications are issued.

#### General Shareholder Information:

The Annual General Meeting of the Shareholders:  
Date: 19.06.2009, Time: 3.30 p.m. Venue: "Y.B. Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Financial Calendar	: 01.4.2008 to 31.03.2009
Date of Book Closure	: 12.06.2009 to 19.06.2009
Dividend Payment Date	: 17.07.2009
Listing on Stock Exchanges	: Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, New Delhi, Chennai and National Stock Exchange, Mumbai. (GDRs listed on London Stock Exchange—LSE) Listing fees have been paid upto date to all Stock Exchanges including LSE.
Stock Code	: 500112 (BSE) SBIN (NSE)

Depository Participation	: The National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's shares in demat form.
Electronic Clearing	: Dividend on SBI shares is also being paid through RBI's 15 Electronic Clearing Centres.
Registrar and Transfer Agent and their Address	: M/s Datamatics Financial Services Limited, Unit: State Bank of India, Plot A-16 & 17, MIDC, Part B, Cross Lane, Marol, Andheri (E), Mumbai 400 093.
Board Phone Numbers	: 022-6671 2151 to 2156
Direct Numbers	: 022-6671 2198/ 6671 2199 022-6671 2201 to 2203
E-mail address	: sbi_eq@dfssl.com
Fax	: (022) 6671 2204
Share Transfer System	: Through R&T Agent
Outstanding GDR	: 1,35,64,361 (GDR) as on 31-03-2009 representing 2,71,28,722 shares
Address for Correspondence	: State Bank of India, Shares & Bonds Department, Central Office, State Bank Bhavan, 8th floor, M.C. Road, Nariman Point, Mumbai 400 021.



टेलीफोन	: (022) 22740841-45 (022) 2288 3888 (022) 2283 0535
फैक्स	: (022) 2285 5348
ई-मेल पता	: gm.snb@sbi.co.in

#### शेयर कीमत उतार-चढ़ाव:

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स तालिका सं. 16 में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक के शेयरों का बाजार पूंजीकरण मार्च 2009 के अंत में बीएसई में 4.38% एवं एनएसई में 3.58% के भारांक पर था। बैंक का शेयर सबसे ज्यादा क्रय-विक्रय किए जाने वाले शेयरों में से एक रहा।

**तालिका: 16 बाजार मूल्य आंकड़े  
(अंतिम मूल्य)**

मास	बीएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का मूल्य (₹)		बीएसई सूचकांक	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-08	1819.95	1592.00	17480.74	15297.96
मई-08	1840.00	1438.20	17735.70	16196.02
जून-08	1496.70	1101.15	16632.72	13405.54
जुलाई-08	1567.50	1007.00	15130.09	12514.02
अगस्त-08	1638.90	1302.00	15579.78	14002.43
सितंबर-08	1618.00	1353.00	15107.01	12153.55
अक्तूबर-08	1569.90	991.10	13203.86	7697.39
नवम्बर-08	1375.00	1025.00	10945.41	8316.39
दिसंबर-08	1325.00	995.05	10188.54	8467.43
जनवरी-09	1376.40	1031.05	10469.72	8631.60
फरवरी-09	1205.90	1008.30	9724.87	8619.22
मार्च-09	1132.25	894.00	10127.09	8047.17

#### निवेशकों की आवश्यकताएं:

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई में बैंक के कारपोरेट केंद्र में एक पूर्ण सुव्यवस्थित विभाग - शेयर एवं बांड विभाग और 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बांड कक्ष है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे बैंक कार्यालयों में, या रजिस्ट्रार और अंतरण-एजेंटों के कार्यालय में प्राप्त हुई हो, तुरंत ध्यान देकर उनका निवारण किया जाता है और इस कार्य की निगरानी शीर्ष प्रबंधन स्तर पर की जाती है। बैंक ने देशभर में 88 अन्य केन्द्रों का चयन कर प्रत्येक केंद्र पर शेयरधारकों/निवेशकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए एक अधिकारी को नामित किया है।

**तालिका: 17 शेयरधारिता का वितरण  
(31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)**

शेयरधारक	धारित शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	59.41%
अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी कारपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/विश्व जमा रसीदें)	12.33%
राज्य सरकार(सरकारें)/बीमा कंपनियाँ/बैंकों सहित वित्तीय संस्थाएं	10.90%
म्यूचुअल फंड/सरकारी कंपनियाँ/भारतीय यूनिट ट्रस्ट	5.36%
कंपनियाँ/निजी कारपोरेट संस्थाएं/न्यास	5.30%
निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	6.70%
शेयरधारकों की संख्या	781263
डीमैट शेयरों की संख्या (620998421)	97.81%

**तालिका: 18 बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक  
(31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)**

धारक का नाम	धारित शेयरों का प्रतिशत
1. भारत के राष्ट्रपति	59.41
2. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं समूह	9.56
3. दि बैंक आफ न्यूयार्क (जीडीआर)	4.27
4. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.79
5. यूरोपेसिफिक ग्रोथ फंड	0.77
6. फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी खाता एफआइडी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फिडेलिटी ड्राइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड	0.63
7. भारतीय साधारण बीमा निगम	0.54
8. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	0.48
9. बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	0.44
10. सिंगापुर सरकार	0.35

Telephones	: (022) 22740841-45 (022) 2288 3888 (022) 2283 0535
Fax	: (022) 2285 5348
E-mail address	: gm.snb@sbi.co.in

#### Share Price Movement:

The movement of the share price and the BSE Sensex is presented in Table No. 16. The market capitalisation of the Bank's shares had a weightage of 4.38% at BSE and 3.58% at NSE as at the end of March, 2009. The Bank's scrip has been one of the heavily traded scrips.

**Table : 16 Market Price Data  
(Closing Values)**

Months	SBI's Share Price at BSE (Rs.)		BSE Sensex	
	High	Low	High	Low
Apr-08	1819.95	1592.00	17480.74	15297.96
May-08	1840.00	1438.20	17735.70	16196.02
Jun-08	1496.70	1101.15	16632.72	13405.54
Jul-08	1567.50	1007.00	15130.09	12514.02
Aug-08	1638.90	1302.00	15579.78	14002.43
Sep-08	1618.00	1353.00	15107.01	12153.55
Oct-08	1569.90	991.10	13203.86	7697.39
Nov-08	1375.00	1025.00	10945.41	8316.39
Dec-08	1325.00	995.05	10188.54	8467.43
Jan-09	1376.40	1031.05	10469.72	8631.60
Feb-09	1205.90	1008.30	9724.87	8619.22
Mar-09	1132.25	894.00	10127.09	8047.17

#### Investors' Needs:

To meet various requirements of the investors regarding their holdings, the Bank has a full-fledged Department - Shares & Bonds Department - at its Corporate Centre at Mumbai and Shares & Bonds Cells at the 14 Local Head Offices. The investors' grievances, whether received at the Bank's offices or at the office of the Registrar and Transfer Agents, are redressed expeditiously and monitored at the Top Management level. The Bank has also identified 88 other centres across the country and designated one official at each centre to attend to the Shareholders'/Investors' needs.

**Table : 17 Distribution of Shareholdings  
(As on 31-03-2009)**

Shareholders	% of shares held
President of India	59.41%
Non-residents (FIIs/ OCBs /NRIs /GDRs)	12.33%
State Govt.(s)/Financial Institutions including Insurance Companies/ Banks	10.90%
Mutual Funds/ Government Companies/UTI	5.36%
Domestic companies/ Pvt. Corporate Bodies/Trusts	5.30%
Others including Resident individuals	6.70%
No. of Shareholders	781263
No. of Shares in dematerialised form (620998421)	97.81%

**Table : 18 Top Ten Shareholders of the Bank  
(As on 31-03-2009)**

Name of the Holder	Equity held (%)
1. President of India	59.41
2. Life Insurance Corp. of India & Group	9.56
3. The Bank of New York (GDRs)	4.27
4. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1.79
5. Europacific Growth Fund	0.77
6. Fidelity Management & Research Co. A/c FID Investment Trust-Fidelity diversified Intl. Fund	0.63
7. General Insurance Corporation of India	0.54
8. HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	0.48
9. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	0.44
10. Govt. of Singapore	0.35